

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 18.04.2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF's letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.378 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the मारु मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मज़खाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 1.500 किमी) **district Almora falls within jurisdiction Mateela Village (s) in Ranikhet Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.378** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.: - YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.: - YES

Encl: As above


 वंदना सिंह
 अल्मोड़ा
 जनपद


Vandana Singh
 District Collector, Almora

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated..... 18.04.2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **0.378 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the **मारु मुख्यमंत्री घोषणा** के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मज़खाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 1.500 किमी) **district Almora falls within jurisdiction Mateela Village (s) in Ranikhet Tahsils.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.378** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Mateela** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

[Signature]
 विधा दस्तावेज कार्यालय
 अल्मोड़ा

V
 Vandana Singh
 District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vandana Singh, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date. १४.०४.२०२२ at time. ५.३५ P.M. at Almora in which application claiming rights of **Mateela** measuring 0.378 hac. for the माठ मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 1.500 किमी) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ranikhet** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:


 अल्मोड़ा जनपद कर्तव्यालय उद्योग
 अल्मोड़ा २०२२

परियोजना का विवरण:- मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा।


उपखण्ड रानीखेत परिक्षेत्र जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी० हेतु ०:३१४ है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~अल्मोड़ा~~ रानीखेत) की दिनांक २३.१२.२०२१ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जयविक्रान्त संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री जयविक्रान्त संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत 
संयुक्त मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा उप जिलाधिकारी

2- श्री अपाल तिंडे विक्टर उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य 

3- श्री चुन्नुला गोप्ता सहायक सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव 

4- श्रीमती अपालती भट्टी बी०डी०सी० क्षेत्र-मटीला सदस्य भगवती भट्टी 

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी० हेतु ०:३१४ है० हेतु ०:३१४ है०, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अंतर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी० के निर्माण हेतु ~~क्र० ३७४~~ है० वन भूमि प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रानीखेत व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रानीखेत व जनपद अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम—मटीला.....

तहसील—रानीखेत व जिला—अल्मोड़ा ।
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अंतर्गत मजखाली मण्डल के मटीला से गैरोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.500 कि०मी० हेतु ०.३१९ है० वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मटीला द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मटीला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान
कापाथा (१६८)
(आमदारी विष्ट)
प्रधान
ग्राम पंचायत मटीला
शे० लो०-सूरो (शोनलविष्ट)
विकास खण्ड - ताङ्गीवन
जिला - अल्मोड़ा

दिनांक 18-12-2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत मटीला

क्रम सं०	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	दुर्दुल्ह विठ्ठ	Signature
2	बन्देश्वर विठ्ठ	Signature
3	निर्भासिंह विठ्ठ	Signature
4	राहुल विठ्ठ	Rahul Singh
5	प्रताप विठ्ठ	Pratap Singh
6	राजेश विठ्ठ	Rakesh
7	कुराला विठ्ठ	Signature
8	भूमिपाल	भूमिपाल
9	लिलावती	Lilavati
10	रामेश विठ्ठ	Ramit
11	वल्लभ विठ्ठ	Vallabh
12	द्वान विठ्ठ	Signature
13	देवेश विठ्ठ	DS Bhat
14	मुकुला विठ्ठ	मुकुला
15	राम विठ्ठ	Signature
16	राम विठ्ठ	राम
17	दिव्या विठ्ठ	Divya
18	आमलय विठ्ठ	Amalay
19	Mukundrao Bhundarao	Signature
20	दिव्या विठ्ठ	Divya
21	दिव्या विठ्ठ	Divya
22	दिव्या विठ्ठ	Divya
23	प्रताप विठ्ठ	Pratap Singh
24	गोपाल विठ्ठ	Signature
25	तिलाक विठ्ठ	tilak
26	दीरेश्वर विठ्ठ	Deveshwar
27	दीपा	Signature

ग्राम प्रधान
कामेश्वर विठ्ठ
(कामेश्वरी विठ्ठ)
प्रदाता
ग्राम पंचायत मटीला
पी० ल००-८००-८००
फोन नं० ८००-८००-८००